



राजस्थान सरकार  
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प. 16(77)एम.ई. / ग्रुप-1 / 17 पार्ट


जयपुर, दिनांक: 26 NOV 2019

आदेश

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय (अनुभाग-1) विभाग के आदेश क्रमांक प.10(1)प्रसु/अनु-1/2012 दिनांक 13.11.2019 (प्रति संलग्न) द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150 वीं जयन्ती वर्ष के अवसर पर राज्य सरकार के समस्त विभागों/बोर्डों/निगमों/आयोगों/कार्यालयों में समस्त राजकीय दस्तावेजों यथा सरकारी वेबसाइटों, ई-मेल, राजकीय स्टेशनरी, कलेण्डर, सरकारी विज्ञापनों एवं विज्ञापन सामग्री, डिजिटल हस्ताक्षर, अर्ध शासकीय पत्रों, राज्य परिवहन के राजकीय साधनों, बसों राज्य की विभिन्न ट्रेनों, मेट्रो रेल आदि में "Gandhi 150 logo" का उपयोग किया जाना है। यह logo संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट <http://gandhi.gov.in> से download/copy कर उपयोग किया जा सकता है।


अतः समस्त संबंधितों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधीन समस्त विभागों/ कार्यालयों में समस्त राजकीय दस्तावेजों में "Gandhi 150 logo" का उपयोग आवश्यक रूप से किया जाना सुनिश्चित करावें।

आज्ञा से,

  
(आर. एन. शर्मा)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
- 2 निदेशक, राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी (राजमेस), निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
- 3 अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
- 4 रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
- 5 प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर/उदयपुर/कोटा/बीकानेर/अजमेर/जोधपुर।
- 6 डीन, झालावाड़ मेडिकल कॉलेज, झालावाड़।
- 7 अनुभागाधिकारी (एस)/(ए), चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
- 8 ए.सी.पी, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर, को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 9 रक्षित पत्रावली।

  
(शिव शंकर अग्रवाल)  
सहायक शासन सचिव